फर्द अहकाम

कल्याण बनाम दामोदर

...ना पत्र संख्याः 332/2024

...क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...0.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् वाद संख्या 45/2023 उनवानी कल्याण वगै. बनाम दामोदर वगै. में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट को तहसीलदार सांगानेर को पुनः भिजवाने का पेश कर निवेदन किया कि दावा संख्या 45/2023 उनवानी कल्याण वगै. बनाम दामोदर वगै. में न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 32/2024 है जिसमे प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट को तहसीलदार सांगानेर को पुनः भिजवाने का श्रम करे क्योकि खातेदार कल्याण रामप्रताप पुत्र रामसिंहपुरा हिस्सा पूर्ण 470/मि. रकबा 0,1730 ख. न. 473/मि. रकबा 0.3850 प्रस्तावित था किन्तु कल्याण पुत्र रामप्रताप का उक्त खसरा में स्थित भूमि पर पुख्ता मकान स्थित है और मकान में आने–जाने का रास्ता बन्द हो गया है इसलिए कल्याण पुत्र रामप्रताप हिस्सा पूर्ण 470/मि. रकबा 0.1730+0.150 तथा ख. न. 473/मि. 0.3850–0.150 किया जावे। तथा खातेदार दामोदर पुत्र रामप्रताप हिस्सा पूर्ण खसरा न. 470/मि. 0.8930–0.150 तथा खसरा न. 473/मि. 0.4850+0.150 किया जावे जिससे खातेदारो में ज्यादा लेटिगेशन पैदा नही हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा संख्या 45/2023 में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट को तहसीलदार सांगानेर के समक्ष पुनः भिजवाने की कृपा करे। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2024 को वाद संख्या 25[illegible] उनवानी कल्याण वगै0 बनाम दामोदर लाल [illegible] पुत्र रामप्रताप के हिस्से में आयी भूमि खसरा [illegible]मिन रकबा 0.1730 हैक्टेयर में रकबा 0.150 हैक्टेयर बढाया जाकर कुल रकबा उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:48:30 IST
Reason: SelfAttested

0.2024

फर्द अहकाम

कल्याण बनाम दामोदार

प्रार्थना पत्र संख्या: 332/2024

0.3230 हैक्टेयर किया जावे तथा खसरा नम्बर 473 मिन रकवा 0.3850 में से 0.150 हैक्टेयर कम किया जाकर कुल रकवा .2350 हैक्टेयर किया जावे। तथा खातेदार दामोदरपुत्र रामप्रताप के हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 473 मिन रकबा 0.4850 हैक्टेयर में रकबा 0.150 हैक्टेयर बढाया जाकर कुल रकबा 0.6350 हैक्टेयर किया जावे तथा खसरा नम्बर 470 मिन रकबा 0.8930 में से 0.150 हैक्टेयर कम किया जाकर कुल रकबा 0.7430 हैक्टेयर किया जाकर राजस्व नक्शे एवं रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। आदेश की पालन कर इस न्यायालय में विचाराधीन इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 32/2024 में दिनांक 22.11.2024 से पूर्व प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:48:30 IST
Reason: SelfAttested